रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

179

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446] नई दिल्ली, बुधवार, जून 29, 2016/आषाढ़ 8, 1938
No. 446] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 29, 2016/ASHADHA 8, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2016

सा.का.नि. 636(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पंजाब राज्य में यथा प्रवृत्त पंजाब मूल्य वर्धित कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का पंजाब अधिनियम सं. 38) निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में विस्तारित करती है, अर्थात् :-

उपांतरण

1. धारा 1 में,-

(क) उपधारा (1) में, "पंजाब मूल्य वर्धित कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2013" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ पर यथा विस्तारित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के परंतुक का लोप किया जाएगा।

2. धारा 2 में "पंजाब मूल्य वर्धित कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2013" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ पर यथा विस्तारित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

3. धारा 3 का लोप किया जाएगा।

4. धारा 4 में,-

(क) इस प्रकार अंत:स्थापित नई धारा 8-ग में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "प्रशासक" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) नई धारा 8घ और 8ङ, अंत:स्थापित की गई थी, लोप किया जाएगा ।

5. धारा 5 के खंड (ii) का लोप किया जाएगा ।

6. धारा 7 का लोप किया जाएगा ।

7. धारा 10 का लोप किया जाएगा ।

उपाबंध

पंजाब मूल्य वर्धित कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2013

(2013 का पंजाब अधिनियम सं. 38)

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब मूल्य वर्धित कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2013 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

परंतु धारा 13 की उपधारा (1) का संशोधन 1अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त और प्रभावी होगा तथा धारा 13 की उपधारा (1-क) का लोप 4 अक्तूबर, 2013 को प्रवृत्त और प्रभावी समझा जाएगा ।

2015 का पंजाब अधिनियम 8 की धारा 4 का संशोधन ।

2. पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसे इसमें पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(2) अधिकरण समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा ।"

2005 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 6 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(7) (क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट मालों पर जिन पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर अग्रिम कर का कोई कराधेय व्यक्ति संदाय करता है, किंतु इस अधिनियम के अधीन ऐसे मालों पर लागू दर जिसके अंतर्गत अधिभार भी है, से अधिक नहीं होगी, जब ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में राज्य सरकार द्वारा निहित की जाए, पर राज्य में ऐसे मालों का वह आयात करता है । उपर्युक्त अग्रिम में कर का संदाय कराधेय व्यक्ति के अंतिम कर दायित्व के मद्दे गणना में होगा :

परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे कराधेय व्यक्ति या कराधेय व्यक्तियों के वर्ग को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचित की जाएं, अग्रिम करके संदाय की दरों को छूट या दरों में कमी कर सकेगी :

परंतु यह और कि यदि किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को किए गए आवेदन पर मामले के सभी पहलुओं का सत्यापन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कराधेय व्यक्ति अग्रिम कर के संदाय से छूट प्राप्त है या अग्रिम कर के संदाय की दर से ऐसा कराधेय व्यक्ति के लिए कटौती करना होगा, तो वह ऐसे कराधेय व्यक्ति पर ऐसे शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए ऐसा कर सकेगा और अधिरोपित करेगा जो वह उचित समझे ।

स्पष्टीकरण – कराधेय व्यक्ति जो राज्य में मालों का आयात करता है इस उपधारणा पर अग्रिम कर का संदाय करेगा कि ऐसा माल विक्रय के प्रयोजन के लिए या विनिर्माण या विक्रय के प्रयोजन के लिए मालों का प्रसंस्करण किया गया है जब तक कि ऐसा कराधेय व्यक्ति द्वारा अन्यथा साबित न किया गया है । यह भी उपधारणा की जाएगी कि ऐसे कराधेय व्यक्ति द्वारा अन्यथा साबित है कि ऐसा माल या उत्पाद उसके द्वारा विनिर्मित है जो ऐसे माल की खरीद या राज्य में उसके आयात के मूल्य से नीचे पर विक्रय नहीं होगा ।

(ख) पंजाब मूल्य वर्धित कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ से पूर्व यथा विद्यमान धारा 6 की उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन अग्रिम कर का संदाय किया जा चुका है । खंड (क) के उपबंधों के अधीन अग्रिम कर का संदाय किया हुआ समझा जाएगा ।"

2005 के पंजाब अधिनियम 8 में नई धारा 8ग, 8घ और 8ङ का अंतःस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 8ख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर ।

"**8-ग**. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार का यदि यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मानक बांट और माप (पैकेज वस्तु) नियम, 1977 के अधीन आने वाले किसी माल या मालों के किसी वर्ग के संबंध में कोई कराधेय व्यक्ति जो माल का विनिर्माता या प्रथम आयातकर्ता है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, ऐसे मालों पर यथामुद्रित अधिकतम खुदरा दरों के आधार पर कर के संदाय का विकल्प दे सकेगा ।

(2) कोई कराधेय व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन यथा उपबंधित कर संदाय का विकल्प देता है, अधिकतम खुदरा दर के मूल्य पर किसी बीजक के जारी रहने द्वारा जिसमें माल का मूल्य और कर पृथक् दर्शित होंगे जिसमें अधिकतम खुदरा दर मुद्रित होगी जिसमें संदेय कर सम्मिलित होगा, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दरों पर कर का संदाय करेगा । गणना किए गए कर दायित्व के प्रयोजन के लिए ऐसा कोई कराधेय व्यक्ति किसी वाणिज्यिक कटौती या मात्रा के निबंधनों में प्रोत्साहन या क्रेता को नकद कटौती के मद्दे किसी कटौती के दावे का हकदार नहीं होगा ।

(3) कराधेय व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन विकल्प लेता है, ऐसे प्ररूप और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अभिहित अधिकारी को कोई आवेदन करके अपने विकल्प को निरस्त कराने की स्वतंत्रता होगी, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(4) सभी पश्चातवर्ती कराधेय व्यक्ति, मालों की खरीद पर जिन मालों पर विक्रय कर के संदाय से छूट प्राप्त होंगे जिन पर पूर्व में ही उपधारा (1) के अधीन यथा उपबंधित अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर कर का संदाय किया जा चुका है, ऐसी शर्तों के अधीन जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।"

उद्योगों के कतिपय वर्गों को कर प्रोत्साहन प्रदान करने की शक्ति ।

8-घ. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार का यदि यह समाधान हो जाता है कि राज्य में औद्योगिक विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, उद्योगों के ऐसे वर्ग के लिए जब भी उद्योग विभाग द्वारा बनाई गई औद्योगिक नीति को अधिसूचित किया जाए, कर प्रोत्साहन प्रदान कर सकेगी ।

कर संग्रह का प्रतिधारण ।

8-ङ. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार का यदि यह समाधान हो जाता है कि राज्य के औद्योगिक विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए उद्योगों के ऐसे वर्ग को कर संग्रहण के प्रतिधारण को अनुज्ञात कर सकेगी, जो विहित की जाए ।"

2005 का पंजाब अधिनियम 8 की धारा 13 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 13 में ,-

(i) उपधारा (1) के पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु निवेश-कर, निवेश-कर प्रत्यय के रूप में ऐसे मालों पर जो राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य या निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किए गए है या राज्य के भीतर विनिर्माण, प्रसंस्करण या मालों के कराधेय विक्रय या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य या निर्यात के अनुक्रम में प्रयुक्त किए गए हैं।" ।

IndiaCode

(ii) उपधारा (1-4) का लोप किया जाएगा ।

(iii) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(9) कोई व्यक्ति मालों पर उसके द्वारा निवेश कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है और ऐसा कारबार के बंद करने के समय स्टाक में बना रहता है ।" ; और

(iv) उपधारा (12) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(12) जैसा अन्यथा उपबंधित है, के सिवाय निवेश-कर प्रत्यय केवल मूल्य वर्धित बीजक के विरुद्ध दावा किया जा सकेगा और उस अवधि के दौरान उसका दावा किया जा सकेगा जिसके दौरान ऐसा बीजक प्राप्त होता है । निवेश कर इस धारा में वर्णित शर्तों के अनुसरण में प्रयुक्त होगा किंतु उस दशा में नहीं जब मालों का ऐसा क्रय जो निवेश-कर के प्रत्यय की रकम अधिक है, समान मालों या समान मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त मालों के संबंध में प्रयुक्त, इस अधिनियम के अधीन, यदि कोई है, वास्तव में सरकारी खजाने में संदत्त है ।" ।

2005 का पंजाब अधिनियम 8 की धारा 29 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 29 में,-

(i) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कोई निर्धारण वार्षिक विवरणी फाइल की गई थी या फाइल करने के लिए नियत थी इसमें से जो भी पश्चात् हो, के पश्चात् छः वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा :

परंतु उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए जब वार्षिक विवरणी जिसके संबंध में 20 नवंबर, 2014 तक करना होगा ।

स्पष्टीकरण – (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी निर्धारण के लिए परिसीमा अवधि उन मामलों के लिए ही लागू होगी जिनकी छः वर्ष की उपरोक्त अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है ।

(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि पंजाब मूल्य वर्धित कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ होने से पूर्व, आयुक्त को निर्धारण की परिसीमा अवधि के विस्तारण से पूर्व संबद्ध व्यक्ति को कोई सूचना जारी करने की अपेक्षा नहीं थी ।" ; और

(ii) उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(10-क) किसी न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, पंजाब मूल्य वर्धित कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ होने से पूर्व उपधारा (4) के अधीन आयुक्त द्वारा पारित हुए आदेश संबद्ध व्यक्ति पर सूचना की तामील या ऐसे आदेश की संसूचना के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा ।"।

2005 का पंजाब अधिनियम 8 में नई धारा 39क का अंतःस्थापन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

पंजाब मूल्य वर्धित प्रतिदाय निधि ।

"39-क. (1) एक निधि का गठन किया जाएगा जिसे पंजाब मूल्य वर्धित प्रतिदाय निधि कहा जाएगा जो उत्पाद-शुल्क और कराधेय विभाग द्वारा ऐसी रीति में अनुरक्षित और संचालित होगी, जो विहित की जाए ।

(2) धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन अग्रिम कर के खाते में संगृहीत रकम सीधे पंजाब मूल्य वर्धित प्रतिदाय निधि में जमा होगी ।

(3) निधि से प्रतिदाय दावों को अनुज्ञात करने के पश्चात् निधि में अवशेष रकम राज्य की संचित निधि में, जो विहित की जाए, जमा होगी ।"।

2005 का पंजाब अधिनियम 8 में नई धारा 46क का अंतःस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 46 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

कीमती मालों के अधीन क्रय करने की शक्ति ।

"46-क. (1) जहां कोई अभिहित अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई के किसी प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित मालों के संबंध में यह विश्वास करने का कारण रखता है चाहे वह स्टाक में हैं या परिवहन में किसी दस्तावेज या लेखा-बही में जो उसे प्रस्तुत की गई है, में कम मूल्य दर्शित किया गया है, वह आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया है कि पूर्व अनुमोदन से दस्तावेज या लेखा बही में ऐसे मालों के क्रय के प्रस्ताव को माल भाड़ा तथा अन्य व्ययों, यदि कोई हों, जो मालों के संबंध में स्वामी द्वारा प्रोद्भूत किए गए हों, को जोड़ने के पश्चात् दस प्रतिशत बढ़ा कर करेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन यथा उपवर्णित प्रस्ताव को मालों का स्वामी स्वीकार करता है वह ऐसी तारीख, समय और ऐसे स्थान पर मालों का यथा प्रदाय कर सकेगा जो प्रस्ताव करने वाले अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए तथा मालों के प्रतिदाय के दस दिनों की अवधि के भीतर अन्य व्ययों के साथ प्रस्तावित मूल्य का संदाय होगा । किंतु यदि वह प्रस्ताव निरस्त करता है या प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के पश्चात् विनिर्दिष्ट तारीख, समय या विनिर्दिष्ट स्थान पर मालों का प्रदाय करने में असफल रहता है वह निश्चयात्मक सबूत के रूप में लिया जाएगा कि स्वामी द्वारा मालों के मूल्यों में कमी की गई थी तथा अभिहित अधिकारी द्वारा अवधारित मालों का मूल्य उसके निर्णय में उचित रूप से ऐसे मालों के वास्तविक मूल्य के रूप में विचार किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन क्रय किए गए मालों का ऐसी रीति में लोक नीलामी द्वारा यथाशीघ्र विक्रय होगा, जो विहित की जाए, किंतु यदि माल विनिश्चर प्रकृति का है या त्वरित और प्राकृतिक है, क्षय के अधीन रहते हुए या ऐसी रीति में यदि वह धारित है, अपने मूल्य में हानि करेगा या जब उसे रखना व्ययकारक होगा जिससे उसका मूल्य अधिक होने की संभावना है, तब ऐसे मालों को ऐसी रीति में तत्काल विक्रीत या अन्यथा निपटान कर दिया जाएगा, जो विहित की जाए । ऐसे मालों का विक्रय आगम या मालों के निपटान पर प्राप्त रकम सरकारी खजाने में जमा होगी ।" ।

2005 का पंजाब अधिनियम 8 की धारा 51 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 51 में,-

(i) उपधारा (6) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) यदि स्वामी या माल का भारसाधक व्यक्ति उपधारा (2) और उपधारा (4) में यथावर्णित दस्तावेजों को नहीं देता है या नियमों में यथाविनिर्दिष्ट जानकारी राज्य में ऐसे माल के अपने प्रवेश के समय या निकलने से पूर्व, यथास्थिति, निकटवर्ती जांच चौकी या सूचना संग्रहण केन्द्र में नहीं देता है ऐसा माल उपधारा (6) के खंड (द) के अधीन आदेशों के अधीन रहते हुए, ऐसी अवधि के लिए जो 72 घंटे से अधिक नहीं होगी, यान के सहित निरुद्ध कर दिया जाएगा ।

टिप्पण (1) – "माल का भारसाधक व्यक्ति" के अंतर्गत माल का वाहक या परिवहन कंपनी का अभिकर्ता या कोई बुकिंग अभिकरण या परिवहन के लिए कोई अन्य उपनीति और वाधित भांडागार या कोई अन्य भांडागार का स्वामी भी है ।

(2) "सूचना संग्रहण केन्द्र" के अंतर्गत वास्तविक सूचना संग्रहण केन्द्र भी है ।" ; और

(ii) उपधारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(12क) जहां कोई माल यान किसी बच निकलने वाले मार्ग पर माल के परिवहन में पाया जाता है और उपधारा (7) के खंड (ग) के अधीन माल के स्वामी पर शास्ति के अधिरोपित होने का दायी होगा जो दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगी तथा यदि शास्ति अधिरोपित करने वाले अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि माल यान का स्वामी या परिवाहक उपर्युक्त अपराध कारित करने में भी अंतर्वलित है तब, यथास्थिति, माल यान का स्वामी या परिवाहक ऐसे अपराध के पहली बार घटित होने के लिए 25000 रुपए की शास्ति के संदाय का भी दायी होगा और यदि ऐसा यान ऐसे समान अपराध में पुनः अंतर्वलित पाया जाता है तथा शास्ति पुनः दो लाख रुपए से अनधिक अधिरोपित करेगा तब ऐसा

अधिकारी अधिग्रहण का आदेश करेगा, विहित रीति में सार्वजनिक नीलामी द्वारा उसको विक्रीत करेगा ।

टिप्पण - "किसी बच निकलने वाले मार्ग" से रास्ते का वह मार्ग अभिप्रेत है जिस पर कोई सूचना संग्रहण केन्द्र अवस्थित नहीं है ।"

2005 का पंजाब अधिनियम 8 की धारा 56 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 56 की अंतिम में "।" चिन्ह के स्थान पर, ":" चिन्ह रखा जाएगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु किसी व्यक्ति की दशा में जो किसी स्टार रेटिंग/त्वरित वापसी स्कीम के अधीन यथाविहित रीति में प्रतिदाय प्राप्त करता है, के पश्चात् पाया जाता है कि उसने जानबूझकर या कपटपूर्ण रीति से प्रतिदाय का दावा किया है जो कि उसे देय नहीं था, वह इस प्रकार दावा किए गए प्रतिदाय की रकम के पाँच गुणा तक अधिकतम के अधीन रहते हुए इस प्रकार दावा किए गए संदाय के अतिरिक्त की रकम और उस पर संदेय ब्याज शास्ति संदाय का दायी होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।"

2005 का पंजाब अधिनियम 8 की धारा 66 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(2) अधिकरण स्वप्रेरणा से या प्रभावित व्यक्ति या आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के निर्देश पर ऐसे आदेश के पारित होने की तारीख से पाँच दिन की अवधि के भीतर ऐसे आदेश में अभिलेख के लिए या किसी भूल या किसी दृश्यमान गलती के सुधार पर विचार कर सकेगा ;

परंतु ऐसा सुधार नहीं किया जाएगा यदि इसका प्रभाव करके बढ़ने या प्रतिदाय की रकम कम करना, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई के अवसर के बिना किया जा सकता हो ।

स्पष्टीकरण - "दृश्यमान गलती" से किसी आदेश के अभिलेख से जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के संशोधन के परिणामस्वरूप जिसके अंतर्गत कोई आदेश गलत हो जाता है ।"

[फा. सं. यू-11020/5/2014-यूटीएल]

हितेश कुमार एस. मकवाना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2016

G.S.R. 636(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2013, (Punjab Act No.38 of 2013), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:-

MODIFICATIONS

1. In section 1,-

 (a) in sub-section (1), after the words, brackets and figures "the Punjab Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2013", the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted ;

 (b) in sub-section (2), the proviso shall be omitted.

2. In section 2, after the words, figures and brackets "the Punjab Value Added Tax Act, 2005", the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.

3. Section 3 shall be omitted.

4. In section 4,-

(a) in the new section 8-C, as so inserted, for the words "State Government", whenever they occur, the word "Administrator" shall be substituted;

(b) new sections 8D and 8E, as so inserted, shall be omitted.

5. In section 5, clause (ii) shall be omitted.

6. Section 7 shall be omitted.

7. Section 10 shall be omitted.

ANNEXURE

THE PUNJAB VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2013

(Punjab Act No.38 of 2013)

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Punjab Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

Provided that amendment of sub-section (1) of section 13 shall come into force on and with effect from the Ist day of April, 2014 and omission of sub-section (1-A) of section 13 shall be deemed to have come into force on and with effect from the 4th day of October, 2013.

Amendment of section 4 of Punjab Act 8 of 2005.

2. In the Punjab Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 4, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) The Tribunal may consist of Chairman and three other members to be appointed by the State Government from time to time."

Amendment in section 6 of Punjab Act 8 of 2005.

3. In the principal Act, in section 6, for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(7) (a) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder, the State Government may by notification specify the goods on which a taxable person shall pay tax in advance at the rates notified by the Government but not exceeding the rates including surcharge applicable on such goods under this Act, when he imports such goods into the State subject to such conditions, as the State Government may specify in the notification. The aforesaid payment of tax in advance shall be counted towards the final tax liability of the taxable person:

Provided that the State Government may by notification exempt any taxable person or class of taxable persons from payment of tax in advance or reduce the rate of payment of tax in advance subject to such conditions, as may be notified:

Provided further that if on an application made by a taxable person, the Commissioner or an officer authorized by him, after verifying all aspects of the case, arrives at a decision that such taxable person should be exempted from payment of tax in advance or that the rate of payment of tax in advance should be reduced for such taxable person, he may do so and impose such terms and conditions on such taxable person as he may deem fit.

Explanation.- The taxable person, who imports goods into the State, shall pay tax in advance, on the presumption that such goods are meant for the purposes of sale or for use in manufacture or processing of goods meant for sale, unless, it is proved otherwise by such taxable person. It is further presumed, unless, it is

proved otherwise by such taxable person, that such goods or any product manufactured there from, shall not be sold below the price at which such goods have been purchased and imported in the State.

(b) The tax already paid in advance under the provisions of sub-section (7) of section 6 as it existed prior to commencement of the Punjab Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2013, shall be deemed to have been paid tax in advance under the provisions of clause (a)".

Insertion of new sections 8-C, 8-D and 8-E in Punjab Act 8 of 2005.

4. In the principal Act, after section 8-B, the following sections shall be inserted, namely:-

Tax on maximum retail price.

"**8-C.** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in public interest, may, by notification in the Official Gazette, direct that, in respect of any goods or class of goods covered under the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977, a taxable person who is a manufacturer or a first importer of goods, may, at his option, pay tax on the basis of Maximum Retail Price (MRP) as printed upon such goods subject to such conditions as the State Government may specify in the notification.

(2) A taxable person, who opts to pay tax as provided under sub-section (1), shall pay tax at the rate as notified by the State Government on the value of Maximum Retail Price (MRP) by issuing an invoice showing value of goods and tax separately, as Maximum Retail Price (MRP) printed would be inclusive of the tax payable. For the purpose of computing tax liability, such a taxable person shall not be entitled to claim any deduction on account of any trade discount or incentive in terms of quantity or cash discount that he may have given to the purchaser.

(3) The taxable person, who has opted under sub-section (1), shall be at liberty to cancel his option by making an application to the designated officer, in such form and subject to such conditions as the State Government may specify in the notification.

(4) All subsequent taxable persons, purchasing goods on which tax on the basis of Maximum Retail Price (MRP) as provided under sub-section (1) has already been paid, shall be exempted from payment of tax on the sale of such goods, subject to such conditions as the State Government may specify in the notification.

Power to grant tax incentives to certain class of Industries.

8-D. Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of Industrial development of the State, grant tax incentives to such class of Industries for such period and subject to such conditions, as may be prescribed, in the case of Industries, which came into production for the first time, as and when notified in the Industrial Policy framed by the Department of Industries.

Retention of tax collected.

8-E. Notwithstanding anything contained in the Act, the State Government, may, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of Industrial development of the State, allow retention of tax collected to such class of Industries subject to such conditions, as may be prescribed."

Amendment in section 13 of Punjab Act 8 of 2005.

5. In the principal Act, in section 13,-

(i) in sub-section (1), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the input tax shall not be available as input tax credit unless such goods are sold within the State or in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export or are used in the manufacture, processing or packing of taxable goods for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export."

(ii) sub-section (1-4) shall be omitted;

(iii) for sub-section (9), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(9) A person shall reverse input tax credit availed by him on goods which remained in stock at the time of closure of the business."; and

(iv) for sub-section (12), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"12) Save as otherwise provided hereinafter, input tax credit shall be claimed only against the original VAT invoice and will be claimed during the period in which such invoice is received. The input tax shall be utilized in accordance with the conditions mentioned in this section, but in no case the amount of input tax credit on any purchase of goods shall exceed the amount of tax, in respect of the same goods or goods used in manufacture of same goods, actually paid, if any, under this Act, into the Government treasury.".

Amendment in section 29 of Punjab Act 8 of 2005

6. In the principal Act, in section 29.-

(i) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"4) An assessment under sub-section (2) or sub-section (3), may be made within a period of six years after the date when the annual statement was filed or due to be filed, whichever is later:

Provided that the assessment under sub-section (2) or sub-section (3), in respect of which annual statement for the assessment year 2006-07 has already been filed, can be made till the 20th day of November, 2014.

***Explanations*:** (1) The limitation period of six years for an assessment under sub-section (2) or sub-section (3), shall also apply to those cases in which the aforesaid period of six years has yet not expired.

(2) It is clarified that prior to commencement of the Punjab Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2013, the Commissioner was not required to issue any notice to the concerned person before extending the limitation period of assessment."; and

(ii) after sub-section (10), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(10-A) Notwithstanding anything to the country contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority, an order passed by the Commissioner under sub-section (4) prior to commencement of the Punjab Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2013, shall not be invalid on the ground of prior service of notice or communication of such order to the concerned person.".

Insertion of new section 39-A in Punjab Act 8 of 2005.

7. In the principal Act, after section 39, the following new section shall be inserted, namely:-

Punjab VAT Refund Fund.

"39-A. (1) There shall be constituted a fund to be called the Punjab VAT Refund Fund, which shall be maintained and operated by the Department of Excise and Taxation in such manner, as may be prescribed.

(2) The amount collected on account of advance tax under sub-section (7) of section 6, shall directly be credited into the Punjab VAT Refund Fund.

(3) After allowing refund claims from the Fund, the balance amount in the Fund, shall be deposited in the Consolidated Fund of the State, as may be prescribed."

Insertion of new section 45-A in Punjab Act 8 of 2005.

8. In the principal Act, after section 46, the following new section shall be inserted, namely:-

Power to purchase under priced goods.

"46-A.(1) Where a designated officer has, for the purpose of any of proceeding under this Act, reasons to believe that any of the goods as notified by the State Government whether in stock or in transit, are underpriced as shown in a document or book of account produced before him, he may, with the prior approval

of the Commissioner or such other officer, as the Commissioner may, in writing, authorize for the purpose, make an offer to purchase such goods at the price shown in the document or book of account, increased by ten per cent plus freight and other expenses, if any, incurred by the owner in relation to the goods.

(2) If the owner of the goods accepts the offer, as provided under sub-section (1), he shall make delivery of the goods on a date, time and at such place, as specified by the officer making the offer and shall be paid the offered price with other expenses within a period of ten days of the delivery of the goods, but, if he rejects the offer, or after accepting the offer fails to deliver the goods on the specified date, time and at the specified place, it shall be construed as a conclusive proof that the owner has underpriced the goods and the price of the goods as determined by the designated officer to the best of his judgment shall be considered as the actual price of such goods.

(3) The goods purchased under sub-section (2), shall be sold by public auction in the manner, as may be prescribed, as early as possible, but, if the goods are of a perishable nature or subject to speedy and natural decay or are such as may, if held, lose their value or when the expenses of keeping them are likely to exceed their value, then, such goods shall be immediately sold or otherwise disposed of in the manner, as may be prescribed. The sale proceeds of the goods or the amount obtained by disposal of the goods shall be deposited in the Government treasury."

Amendment in section 51 of Punjab Act 8 of 2005.

9. In the principal Act, in section 51, -

(i) in sub-section (6), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) If the owner or the person Incharge of the goods has not submitted the documents as mentioned in sub-sections (2) and (4) or has not submitted the information, as specified in the rules at the nearest check post or information collection Centre, in the State, as the case may be, on his entry into or before exit from the State, such goods shall be detained along with the vehicle for a period not exceeding seventy two hours subject to orders under clause (c) of sub-section (7).

Note: - (1) "Person in-charge of the goods" shall include carrier of goods or agent of a transport company or booking agency or any other bailee for transportation and in-charge or owner of a bonded warehouse or of any other warehouse.

(2) "information collection Centre" shall include Virtual information collection Centre."; and

(ii) after sub-section (12), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(12-A) Where a goods vehicle is found transporting the goods on an escape route and a penalty exceeding rupees two lacs has been imposed upon the owner of the goods under clause (c) of sub-section (7) and if the officer imposing the penalty is satisfied that the owner of the goods vehicle or the transporter is also involved in committing the aforesaid offence, then the owner of the goods vehicle or the transporter, as the case may be, shall also be liable to pay a penalty of rupees twenty five thousands for the first time of occurrence of such an offence and if the same vehicle is again found to be involved in such like an offence and a penalty exceeding rupees two lacs is again imposed, then such officer shall order the confiscated, shall be sold by public auction in the prescribed manner.

Note. - "An 'escape route' shall mean the route on the way of which no Information Collection Centre is located."

Amendment in section 56 of Punjab Act 8 of 2005.

10. In the principal Act, in section 56, in the last line, for the sign ".", the sign "." shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be added, namely: -

"Provided that in case a person, who has availed of a refund under a star rating/fast track refund scheme, as may be prescribed, is subsequently found to have willfully or fraudulently claimed refund which was not due to him, he shall be liable to pay penalty subject to the maximum of five times the refund amount so claimed, as may be prescribed by State Government, in addition to the payment of refund amount so claimed and interest payable thereon."

Amendment in section 66 of Punjab Act 8 of 2005.

11. In the principal Act, in section 66, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely: -

"(2) The Tribunal may suo-moto or on a reference from the affected person of the Commissioner or any other officer so authorized by the Commissioner may, consider rectification of a mistake or an error apparent from the record in an order within a period, of five years from the date of passing of such order;

Provided that on such rectification shall be made, if it has the effect of enhancing the tax or reducing the amount of refund without affording an opportunity of being heard to the affected person.

Explanation: Error apparent from the record in an order shall include an order that has become erroneous as a result of amendment of this Act."

[F. No. U-11020/5/2014-UTL]

HITESH KUMAR S. MAKWANA, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.